Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 13-03-2006
Participants : Patil Adv. Tukaram Ganpatrao Renge

an>

Title : Need to implement the programme for providing grants to the farmers by National Tilhan Board.

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी) : महोदय, किसानों की वित्तीय व्यवस्था सुधारने हेतु राट्रीय तिलहन बोर्ड ने 16000 करोड़ रुपये के अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु एक योजना तैयार की थी, जिसके तहत 30 प्रतिशत किसानों को सब्सिडी, 50 प्रतिशत बैंकों के द्वारा ऋण एवं 20 प्रतिशत लाभान्वित व्यक्ति को देने का प्रावधान था, परंतु बैंक अपनी भूमिका ईमानदारी से निभा नहीं पा रहे हैं और न ही किसानों को योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत का ऋण देते हैं। राट्रीय तिलहन बोर्ड ने यह फैसला लिया था कि बैंक द्वारा 50 प्रतिशत ऋण दिये जाने के आवश्यक शर्त नियम में शिथिलता दी जाए। अगर किसान अपना 70 प्रतिशत हिस्सा दे देता है तो राट्रीय तिलहन बोर्ड को 30 प्रतिशत की सब्सिडी दे देनी चाहिए। यह प्रस्ताव योजना आयोग में काफी समय से लंबित है, जिसके कारण राट्रीय तिलहन बोर्ड के माध्यम से जो लक्ष्य किसानों को अनुदान उपलब्ध करवाने का था, वह बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पा रहा है। इस तरह से किसानों को न तो वित्त सुविधा मिल पा रही है और न ही कृाि क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है। बल्कि हमारे देश में कृाि निवेश घटता ही जा रहा है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राट्रीय तिलहन बोर्ड ने जो नियम में शिथिलता का निर्णय लिया है, योजना आयोग तुरंत किसानों के हित में इस प्रस्ताव को लागू करे।